जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ... ™

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2024/mmp/01 E-Newsletter, Issued in Public Interest मंगलवार, 2 जनवरी 2024

"श्याम सिटी" के नाम से अवैध कॉलोनी बसाने के भूमाफियाओं के प्रयासो को जेडीए ने किया विफल!!!

जेडीए के जोन 12 मे स्थित राजस्व ग्राम चम्पारामपुरा की कुल 7 बीघा कृषि भूमि पर बिना भूरूपांतरण किए बसायी जा रही थी यह अवैध कॉलोनी!!!

भाग-2

जेसीबी मशीनों और मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किए गए भूमाफियाओ के मंसूबे!!

सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जेडीए के जोन 12 मे स्थित राजस्व ग्राम चम्पारामपुरा,सुखसागर कॉलोनी के पास स्थित कुल 7 बीघा कृषि भूमि पर बसायी जा रही थी अवैध कॉलोनी “श्याम सिटी-2”

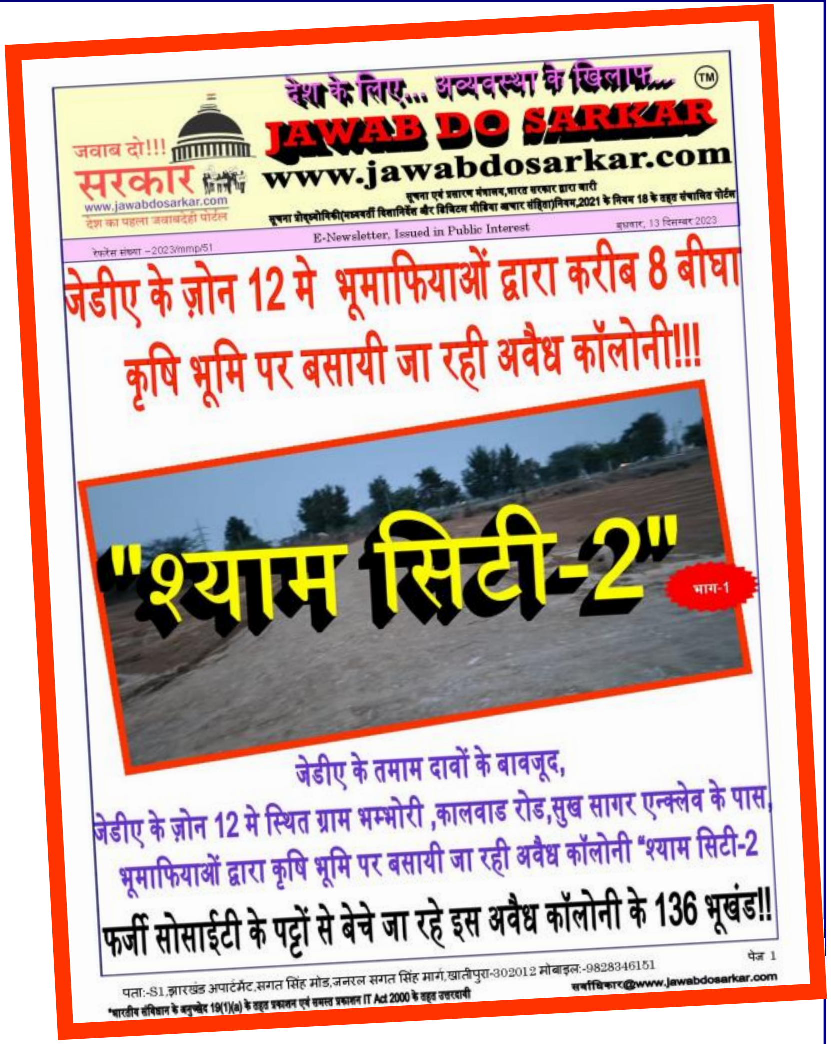
देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ... ™

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

जवाब दो!!! सरकार

www.jawabdosarkar.com

देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी सूचना प्रोद्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2023/mmp/51 E-Newsletter, Issued in Public Interest बुधवार, 13 दिसम्बर 2023

जेडीए के ज़ोन 12 मे भूमाफियाओं द्वारा करीब 8 बीघा कृषि भूमि पर बसायी जा रही अवैध कॉलोनी!!!

जेडीए के तमाम दावों के बावजूद,

जेडीए के ज़ोन 12 मे स्थित ग्राम भम्भोरी ,कालवाड रोड,सुख सागर एन्क्लेव के पास, भूमाफियाओं द्वारा कृषि भूमि पर बसायी जा रही अवैध कॉलोनी “श्याम सिटी-2

फर्जी सोसाईटी के पट्टों से बेचे जा रहे इस अवैध कॉलोनी के 136 भूखंड!!

पेज 1

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी

जैसा कि आपको इस प्रकरण के पहले अंक मे बताया गया था कि जेडीए के ज़ोन 12 मे स्थित राजस्व ग्राम चंपारामपुरा,सुखसागर कॉलोनी के पास,कालवाड रोड की 7 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी “श्याम सिटी-2 ” बसायी जा रही है|साथ ही इस बात का भी खुलासा किया गया था कि इस स्कीम के अंतरगर्त 136 से अधिक प्लॉट काटे जाएंगे,जिन्हे एक बोगस गृह निर्माण सहकारी समिति लि. के पट्टों के नाम से बेचा जा रहा है|इतना ही नहीं भूमाफियाओं द्वारा बैंक से साँठ-गांठ करके इन भूखंडो पर लोन भी उपलब्ध करवाने का दावा किया जा रहा है|इस प्रकार भूमाफियाओं द्वारा खुलेआम ना केवल जेडीए को राजस्व का चुना लगाया जा रहा है,बल्कि ग्राहको के साथ भी ठगी की जा रही है|ग्राहको को लुभाने के लिए भूमाफियाओं द्वारा बाकायदा सोशल मीडिया पर जम कर प्रचार भी किया जा रहा है|

जेडीए द्वारा पूर्णतया ध्वस्त की गयी अवैध कॉलोनी श्याम सिटी-2

इस प्रकरण को हमारे द्वारा JDA के संज्ञान मे लाने के बाद दिनांक 27/12/2023 को जोन 12 मे संयुक्त कार्यवाही करते हुए,अन्य अवैध कॉलोनियों के साथ साथ इस अवैध कॉलोनी श्याम सिटी-2 पर भी कार्यवाही की गई|इस प्रकरण मे मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन श्री धर्मेन्द्र यादव ने बताया कि जोन-12 के क्षेत्राधिकार चंपारामपुरा,सुखसागर कॉलोनी के पास अवस्थित करीब 7 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर JDA की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू-रूपांतरण करवाए भूमि को समतल कर,श्याम सिटी द्वितीय के नाम से विगत दिवसों मे मौका पाकर, रातोंरात बनाई गई, मिट्टी की सड़के व अन्य अवैध निर्माण कर, नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही, प्रारम्भिक स्तर पर ही जोन 12 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर, प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर, नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया|संबंधित से JDA के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी|

जवाब मांगते सवाल?

उन सैंकड़ों परिवारों का क्या होगा जिनहोने इस अवैध कॉलोनी मे भूखंड खरीद लिए थे?

<u>जेडीए द्वारा की गई बडी कार्यवाही</u>

निमार्णाधीन 19 अवैध विला, नवीन अवैध कॉलोनी, 03 दुकाने, 02 शोरूम, का पूर्णतः ध्वस्तीकरण 08 अवैध विला की पुख्ता सिलींग की कार्यवाही एवं सरकारी भूमि को करवाया कब्जा–अतिकमण मुक्त"

जोन–12	• ग्राम माचवां श्रीराम वाटिका में निमार्णाधीन 19 अवैध विला का ध्वस्तीकरण, 08 अवैध विला की पुख्ता सिलींग की कार्यवाही। • निजी खातेदारी करीब 07 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी का प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्तीकरण। • सुशांत सिटी को जाने वाली 100 फीट रोड़ पर निर्माणाधीन 03 अवैध दुकानो का पूर्णतः ध्वस्तीकरण। • नारायण सिटी आई ब्लॉक में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ निमाणाधीन 02 अवैध शोरूम के लिए किये गये अवैध निर्माण का पूर्णतः ध्वस्तीकरण। • निवारू जोशी वाली ढ़ाणी में सरकारी भूमि को करवाया कब्जा–अतिकमण मुक्त।

<u>जोन–12</u>

ग्राम माचवां श्रीराम वाटिका में निमार्णाधीन 19 अवैध विला का ध्वस्तीकरण, 08 अवैध विला की पुख्ता सिलींग की कार्यवाहीः–

1. प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा आज दिनांकः 27.12.2023 को जोन–12 के क्षेत्राधिकार कालवाड थाना क्षेत्र में अवस्थित ग्राम पिण्डोलाई माचवां में श्रीराम वाटिका कॉलोनी जिला जयपुर में जेडीए की बिना स्वीकृति–अनुमोदन के निर्माणाधीन 19 अवैध विला, व अन्य अवैध निर्माण करने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन–12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया गया एवं इसी कॉलोनी में 08 अवैध विला के निर्माण किये जाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर इंजीनियरिंग शाखा की मदद से उक्त अवैध विला के प्रवेश द्वारो, गेटो को सील चपडी इत्यादि लगाकर पुख्ता सिलिंग की कार्यवाही की गई।

निजी खातेदारी करीब 07 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी का प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्तीकरणः–

2. जोन–12 के क्षेत्राधिकार चम्पारामपुरा सुख सागर कॉलोनी के पास अवस्थित जिला जयपुर में करीब 07 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति–अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर "श्याम सिटी द्वितिय" के नाम से विगत दिवसों में मौका पाकर रातों–रात बनाई गई मिट्टी की सड़कें, व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन–12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा–वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

सुशांत सिटी को जाने वाली 100 फीट रोड़ पर निर्माणाधीन 03 अवैध दुकानो का पूर्णतः ध्वस्तीकरणः–

3. जोन–12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित सुशान्त सिटी को जाने वाली 100 फीट रोड पर जिला जयपुर में जेडीए की बिना स्वीकृति के 03 अवैध दुकानो का निर्माण किये जाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन–12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया गया।

नारायण सिटी आई ब्लॉक में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ निमाणाधीन 02 अवैध शोरूम के लिए किये गये अवैध निर्माण का पूर्णतः ध्वस्तीकरणः–

4. जोन–12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित नारायण सिटी आई ब्लॉक जिला जयपुर में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ जेडीए की बिना स्वीकृति के 02 अवैध शोरूम का निर्माण किये जाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन–12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया गया।

ग्राम निवारू जोशी वाली ढ़ाणी में सरकारी भूमि को करवाया कब्जा–अतिकमण मुक्तः–

5. जोन–12 के क्षेत्राधिकार ग्राम निवारू में अवस्थित जोशी वाली ढ़ाणी में जेडीए स्वामित्व की सरकारी भूमि पर कब्जा–अतिकमण कर बनाए गए 04 अवैध कमरो व अन्य अवैध निर्माण किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन–12 के राजस्व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्तें द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर सरकारी भूमि को अतिकमण मुक्त करवाया गया।

उक्त कार्यवाही उप नियंत्रक प्रवर्तन–तृतीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन–12, 02 ,06, 10 व 11 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

संलग्नः–फोटोग्राफस्/वीडियो।

27/12/23
(धर्मेन्द्र कुमार यादव)
मुख्य नियंत्रक–प्रवर्तन

जेडीए की इस कार्यवाही से यह तो साफ हो गया है कि बिना भूरूपान्तरण करवाए और बिना जेडीए की अनुमति लिए,इस जमीन पर पुनः कॉलोनी नहीं बसायी जा सकती|ऐसे मे सवाल उठना लाज़मी है कि अब उन सैंकड़ों परिवारों का क्या होगा जिनहोने इस अवैध कॉलोनी मे भूखंड खरीद लिए थे?क्या भूमाफियाओं द्वारा उन्हे उनकी जमीन का पैसा लौटाया जाएगा?या फिर उन्हे अन्यंत्र जमीन देने का झांसा दिया जाएगा?या फिर इस जमीन के चक्कर मे अपनी जीवन भर की जमा-पूंजी गंवा चुके ग्राहक संबन्धित पुलिस थानो के चक्कर लगाते रहेंगे?

क्या जेडीए करेगा इस जमीन के खातेदारों की खातेदारी निरस्त करने की कार्यवाही?

आपको बता दें कि जेडीए द्वारा पूर्व मे भी कई अवैध कॉलोनियों की खातेदारी निरस्त करने की कार्यवाही की जा चुकी है|देखना यह है कि इस मामले मे भी जेडीए इस अवैध कॉलोनी से संबन्धित खातेदारों की खातेदारी निरस्त करने के लिए कार्यवाही करता है या नहीं?

28/12/2023

जयपुर @ पत्रिका. जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने बुधवार को कालवाड़ रोड स्थित श्रीराम वाटिका कॉलोनी में अवैध रूप से बन रहे 19 विला ध्वस्त किए। इसके अलावा आठ विला सील कर दिए। प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रक धर्मेंद्र यादव ने बताया कि चम्पारामपुरा में सात बीघा कृषि भूमि पर श्याम सिटी द्वितीय नाम से कॉलोनी विकसित की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान सड़कें व अन्य निर्माण ध्वस्त कर दिए।

यहां भी की कार्रवाई

जोन 12 में तीन अवैध दुकानों को ध्वस्त किया। निवारू में जोशी वाली ढाणी में जेडीए स्वामित्व की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया। यहां चार कमरों का निर्माण कर लिया था।

क्या जेडीए करेगा फर्जी पट्टे देने वाले गिरोह पर कार्यवाही?

जेडीए की इस कार्यवाही से यह बात स्पष्ट है कि जिस जमीन पर यह अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी,वह अभी भी कृषि भूमि है|ऐसे मे यह सवाल उठता है कि जिस सहकारी समिति के नाम से इन भूमाफियाओ द्वारा आज की तारीख के प्रोविजनल अलोटमेंट लैटर वितरित किए जा रहे थे,क्या वह अवैध एवं गैर-कानूनी नहीं है?क्या जेडीए इस मामले मे संबन्धित भूमाफियाओ और गृह निर्माण सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज करवाएगा?

अब तक कितनी अवैध कॉलोनियाँ काट चुके है यह भूमाफिया?

जिस प्रकार से सुनियोजित तरीके से भूमाफियाओं द्वारा यह अवैध कॉलोनी बसायी जा रही थी,उससे साफ है कि यह इन लोगो की पहली कॉलोनी नहीं थी|ऐसे मे सवाल और उठता है कि अब तक यह भूमाफिया कितनी अवैध कॉलोनियाँ काट चुके है और कितने लोगो को ठग चुके है?आम जनता से अपील है कि वह भूमाफियाओ द्वारा काटी जा रही अवैध कॉलोनियों की सूचना जेडीए प्रवर्तन को या हमे दे|ताकि ऐसे मामलो के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करवायी जा सके|